

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर

परिवाद संख्या-1595 / 15

हरिहर यादव

बनाम

अंगद प्रसाद चौधरी

03.08.2016

पत्रावली पेश आदेशार्थ पेश हुई।

संक्षेप में परिवादी का कथन है कि प्रार्थी से विपक्षी द्वारा एक भूखण्ड जो अकबरपुर में स्थित है उसके विक्रय के संबंध में रूबरू गवाहान विपक्षी द्वारा मु0 2,77,000/-रु0 प्राप्त किया था। किन्तु उक्त भूखण्ड के बाबत विपक्षी द्वारा प्रार्थी/परिवादी के पक्ष में बैनामा करने से मना कर दिया। प्रार्थी द्वारा काफी अनुनय विनय करने के बाद विपक्षी द्वारा दिनांक 02.07.15 को मु0 27000/-रु0 का चेक जिसका क्रमांक सं0 089639 तथा द्वितीय चेक सं0 089638 मु0 2,50,000/-रु0 दिनांकित 02.07.015 को प्रार्थी को दिया। प्रार्थी द्वारा चेक सं0 089639 तथा द्वितीय चेक सं0 089638 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया अकबरपुर में जमा किया और मु0 27000/-रु0 का चेक क्लियरेन्स के बाद प्रार्थी के पक्ष में भुगतान हो गया किन्तु चेक सं0 089638 मु0 250000/-रु0 का चेक विपक्षी के खाते में धन न होने के कारण दिनांक 03.07.15 को बाउन्स हो गया। इसके बाद प्रार्थी द्वारा विपक्षी से उक्त चेक के बावत कहने पर वह हीला हवाली करता रहा और स्पष्ट उत्तर विपक्षी द्वारा धनराशि के बावत नहीं दिया गया। प्रार्थी/परिवादी ने अभियुक्त के पते पर रजिस्टर्ड डाक से एक वैधानिक नोटिस दिनांक 16.10.2015 प्रेषित किया जो विधिवत तामील है।

सुना तथा पत्रावली एवं दाखिल अभिलेखों का सम्यक् परिशीलन किया।

परिवादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में स्वयं का शपथ-पत्र एवं अभिलेखीय साक्ष्य में मूल चेक, बैंक रिपोर्ट, रजिस्ट्री रसीद, विधिक नोटिस को दाखिल किया गया जिससे परिवादी के कथनों का समर्थन होता है।

मामले के समस्त तथ्य परिस्थितियों को देखते हुए विपक्षी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा-138 एन.आई.एक्ट का अपराध बनता प्रतीत होता है और अभियुक्त को तलब करने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त अंगद प्रसाद चौधरी को धारा-138 एन.आई.एक्ट में विचारण हेतु जरिये समन तलब किया जाता है। परिवादी द्वारा आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह किया जाय। बादहू पैरवी अभियुक्त को समन जारी हो। पत्रावली हाजिरी अभियुक्त हेतु दिनांक-08.10.2016 को पेश हो।

ए.सी.जे.एम,अम्बेडकरनगर

